



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र**  
**(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

नवीनीकरण

संख्या: R/GBN/14487/2020-2021

पत्रावली संख्या: 61301-M

दिनांक: 2015-2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बट्टी प्रसाद भगवान देवी एजुकेशनल सोसाइटी, मोहल्ला प्रेमपुरी कस्बा दनकौर  
 जिला गौतमबुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर, 203201 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 775  
 दिनांक-17/10/2015 को दिनांक-17/10/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।  
 1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By**  
**(DILEEP KUMAR GUPTA)**  
**DA019A515850A2830762C302E344A248F77ACFAB**

Date: 14/01/2021 3:01:08 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-14/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
 उत्तर प्रदेश।

*नवीनीकरण*  
 Manager  
 B.P.B.D. International Academy  
 Dankaur, G. B. Nagar

*14/01/21*  
 SECRETARY  
 B. P. B. D.  
 International Academy  
 Dankaur, G. B. Nagar

# स्मृति-पत्र

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-21, सन् 1960 की धारा-2 के अनुसार

1. संस्था का नाम - बंदी प्रसाद भगवान देवी एजुकेशनल सोसाइटी
2. पंजीकृत कार्यालय - मौहल्ला प्रेमपुरी, कस्बा दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)
3. कार्यक्षेत्र - समस्त मेरठ मण्डल में रहेगा।
4. संस्था के उद्देश्य -

1. छात्रों को नैतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शिक्षा प्रदान करना जिससे वे श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियों का नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करना तथा निःशुल्क चिकित्सा एवं महिला एवं वृद्ध सुधार कार्यक्रम बनाकर कार्यान्वित करना।
3. कला, साहित्य, विज्ञान एवं पत्रकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शोध आदि के विकास कार्यों में सहयोग करना।

समाज के निर्धन, कमजोर, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग वर्गों के युवाओं के लिए रोजगारपरक शिक्षा, प्रमोदगृह, आरोग्य मन्दिर और बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।

प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, विकलांगों एवं कृषि जगत में सहयोग करना तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा जन-कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों को अंकीकार कर सफल बनाना।

6. जाति, धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष, वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना पैदा करना।

7. सामूहिक कार्यों द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रमदान कराना, देश की बढ़ती भिक्षावृत्ति को रोकना तथा बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।



त्रिलोक चन्दगर्ग  
नन्दकिशोरगर्ग

शकुन्तला देवी  
सत्य प्रतिलिपि

Indira Kumar

निशु चन्दगर्ग  
Nishu Chandra

BAIBITA E

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्म सोसाइटीज तथा चिटर्स, मेरठ।  
Omoo 21/11/15

5. संस्था के प्रबन्धक कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है :-

| क्र०सं० | नाम व पिता/पति का नाम                                     | पता                                                           | पद         | व्यवसाय |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 01      | श्री त्रिलोक चन्द्र गर्ग पुत्र स्व श्री बन्नी प्रसाद गर्ग | म०न० 673 चौधरी वाड़ा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर                  | अध्यक्ष    | व्यवसाय |
| 02      | श्री संदीप कुमार गर्ग पुत्र श्री नन्द किशोर गर्ग          | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | उपाध्यक्ष  | व्यापार |
| 03      | श्री नन्द किशोर गर्ग पुत्र स्व० श्री बन्नी प्रसाद गर्ग    | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | प्रबन्धक   | व्यापार |
| 04      | श्री मति शकुन्तला देवी पत्नी श्री नन्द किशोर गर्ग         | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | उपप्रबन्धक | गृहणी   |
| 05      | कमल गोयल पुत्र स्व० श्री मनमोहन गोयल                      | 16, पीरवाला, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                            | सचिव       | व्यापार |
| 06      | श्री सुधीर गर्ग पुत्र श्री नन्द किशोर गर्ग                | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | कोषाध्यक्ष | व्यापार |
| 07      | श्री मति प्रीति गर्ग पत्नी श्री संदीप कुमार गर्ग          | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | सदस्य      | गृहणी   |
| 08      | श्री मति निशा गर्ग पत्नी श्री सुधीर गर्ग                  | प्रेमपुरी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                              | सदस्य      | गृहणी   |
| 09      | श्री मति पूजा गोयल पत्नी कमल गोयल                         | 1276, मौ० शीतलपुरी, नूरगंज गुड्ड मण्डली, मुराद नगर, गाजियाबाद | सदस्य      | गृहणी   |
| 10      | श्री मोहन विस्ट पुत्र हिम्मत विस्ट                        | म०न० 74, ग्राम-बना, थाना-पूर्वीआगर, जिला-नैनीताल              | सदस्य      | व्यापार |
| 11      | श्री मति वयोता विस्ट पत्नी मोहन विस्ट                     | म०न० 74, ग्राम-बना, थाना-पूर्वीआगर, जिला-नैनीताल              | सदस्य      | गृहणी   |
| 12      | डॉ० विप्लव पुत्र डॉ० विजय बहादुर सिंह                     | म०न० 113 क, टीचर कॉलोनी, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर                | सदस्य      | शिक्षक  |

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था बन्नी प्रसाद भगवान देवी एजुकेशनल सोसाइटी को सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट-21, सन् 1860 के अंतर्गत एक समिति का गठन किया है :

त्रिलोक चन्द्र गर्ग

दिनांक :

सत्य प्रतिलिपि

नन्द किशोर गर्ग

Prateek Garg

Kamal

Nisha Garg

BABITA BIS

शकुन्तला देवी

प्रधान सहायक/आन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्म सोसाइटीज तथा धितर, गैरत

## नियमावली

1. संस्था का नाम - बंदी प्रसाद भगवान देवी एजुकेशनल सोसाइटी
2. पंजीकृत कार्यालय - मौहल्ला प्रेमपुरी, कस्बा दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)
3. कार्यक्षेत्र - समस्त मेरठ मण्डल में रहेगा।
4. संस्था के उद्देश्य - संस्था के स्मृति पत्र में अंकितानुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

प्रत्येक स्त्री, पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, जो संस्था के उद्देश्यों से सहमत हो तथा नियमों का पूर्णतया पालन करे, नैतिक आचरण वाला हो, दियालिया न हो, पागल न हो, संस्था का सदस्य हो सकेगा।



- अ) साधारण सदस्य वह व्यक्ति जो समिति को रु० 501/- वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा, वह व्यक्ति इस समिति का साधारण सदस्य होगा।
- ब) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति, जो समिति को रु० 5100/- एक साथ जमा करेगा, वह इस समिति का आजीवन सदस्य होगा।

### 8. सदस्यता समाप्ति :-

- अ) मृत्यु होने पर।
- ब) त्याग-पत्र देने पर।
- स) संस्था के लिए हानिकारक कार्य करने पर प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देने पर।
- द) दिवालिया या पागल घोषित किये जाने पर।
- य) किसी अनैतिक अपराध में कारावास का दण्ड पाने पर।
- र) यदि वह सदस्यता शुल्क प्रदान नहीं करता है।

त्रिलोक चन्द

नन्दकिशोर

दीप कान्त

शकुन्ता देवी

सत्य प्रदीप

Kamal

Nirupam

BABITA BISHI

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

उत्तर सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ



7. संस्था का अंग :

संस्था के दैनिक कार्यों को चलाने हेतु दो समितियां होंगी :

- 1) साधारण सभा
- 2) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधार सभा :

अ- गठन : सभी श्रेणियों के सदस्य इसके सदस्य माने जायेंगे। वे व्यक्ति ही साधारण सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे, जो गत छः माह से लगातार सदस्य हैं।

ब- बैठकें : साधारण सभा की एक वर्ष में एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक संस्था के अध्यक्ष की अनुमति पर किसी विशेष परिस्थिति में विशेष बैठक बुला सकता है।

स- सूचना अवधि : संस्था की सामान्य बैठक बुलाने की सूचना प्रबन्धक द्वारा 15 दिन पूर्व सदस्यों के पास पहुंचनी चाहिए, परन्तु विशेष बैठक प्रबन्धक अध्यक्ष की अनुमति से एक दिन पूर्व सूचना भेजकर भी बुला सकता है।

द-गणपूर्ति : सभा की किसी सामान्य अथवा विशेष बैठक की कार्यवाही के लिए 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है।

य-सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन :

01 मई तथा 30 जून के मध्य सभी बातों पर विचार हेतु होगा।

र- साधारण सभा के कर्तव्य :

- 1) प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- 2) गत वर्ष का आय-व्यय स्वीकृत करना। आगामी वर्ष के लिए नियोजन करना।
- 3) वार्षिक विवरण प्रकाशित करना।
- 4) वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य करना।
- 5) संविधान में संशोधन पर वाद-विवाद करना, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर वाद-विवाद करना तथा बहुमत से निश्चित करना।
- 6) संस्था द्वारा प्रस्तावित स्कूल/कॉलेज का संचालन करना।

त्रिलोक चन्द जी

नन्दकिशोर जी

बालकृष्ण देवी

दीपिका चतुर्वेदी

Preeti Garg

सत्य प्रबुद्धि

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फार्म सोसाइटीज तथा विद्यालय

निशिका गार्ग  
Nisha Garg

BABITA BISHI

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

अ- गठन . साधारण सभा द्वारा निर्वाचित 9 सदस्यों की एक समिति ही प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

ब- बैठकें (सामान्य व विशेष) :

प्रबन्धकारिणी समिति की तीन माह में एक सामान्य बैठक होना आवश्यक है, परन्तु विशेष परिस्थिति में प्रबन्धक संस्था के अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी विशेष बैठक बुला सकता है।

स- सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक सदस्य के पास पांच दिन पूर्व पहुंचनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में प्रबन्धक अध्यक्ष की अनुमति से तत्कालिक सूचना पर विशेष बैठक बुला सकता है।

द- गणपूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही चलाने हेतु 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है।

य- यदि कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा छः माह के अंदर ही संविधान के नियमों के अंतर्गत करेगी।

२- प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :



- 1) आय-व्यय का नियंत्रण रखना।
- 2) वार्षिक आय-व्यय बजट बनाकर साधारण सभा से अनुमोदित कराना।
- 3) आवश्यकतानुसार चल व अचल सम्पत्ति का प्राप्त करना।
- 4) संस्था के लिए शासन तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण/अनुदान व अन्य सहायता प्राप्त करना।
- 5) वे सभी कार्य करना, जो संस्था के विकास एवं उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

त्रिलोक चन्द झा

नाडकेश्वर झा

शकुन्तला देवी

दीपिका झा

Preeti Garg

सत्य प्रतिलिपि

अमर

Nisha Garg

BABITA BISHI

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्मा सोसाइटीज तथा चिट्स, नैरठ।

21-11-15

- 6) कर्मचारियों की नियुक्ति व अपदस्थता का अनुमोदन करना।
- 7) प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत हिसाब-किताब व प्रगति रिपोर्ट स्वीकार करना।
- 8) आम समा द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
- 9) इस समिति को नियमावली के लिए नियम व उपनियम बनाने तथा संसोधन कराने का अधिकार होगा।

ल- कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे :

- 1) अध्यक्ष-एक, 2) उपाध्यक्ष-एक, 3) प्रबन्धक-एक, 4) उप-प्रबन्धक-एक,
- 5) सचिव-एक, 6) कोषाध्यक्ष-एक 7) शेष सदस्य होंगे सदस्य संख्या- एक से नौ तक हो सकेंगी

पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण समा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देना।
3. आवश्यकता पड़ने पर व अपनी इच्छानुसार बैठक बुलाना।
4. संस्था की व्यवस्था एवं प्रबन्ध का उत्तरदायित्व निभाना।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्य एवं अधिकारों को वहन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
समा सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

21-11-15  
Nisha Garg  
BABITA BISI  
maly

त्रिलोक चड्ढा  
नरेश कुमार  
शकुन्ता देवी  
Breeti Garg  
Kumar

प्रबन्धक :

1. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाना।
2. बैठक की सूचना, समय तथा विचारार्थ विषय कम से कम पांच दिन पूर्व सदस्यों के पास पहुंचाना। असाधारण बैठक की सूचना सदस्यों के पास तत्कालिक पहुंचाना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से दैनिक कार्यों के संचालन की दृष्टि से संस्था के पूर्ण उत्तरदायित्व को वहन करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति से सभी नियुक्तियां, पदच्युति एवं पदोन्नति करना।
5. प्रत्येक रिक्त एवं नवीन स्थान के लिए अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्ति करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से पत्र-व्यवहार तथा न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही का उत्तरदायित्व निर्वाह करना।
7. सभी प्रकार के आकस्मिक व्यय के लिए रु० 1000/- तक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करना।
8. संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को सात दिन तक के अवकाश की स्वीकृति देना।
9. साधारण सभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
10. आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उसे प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना।

उप-प्रबन्धक :

त्रिलोक चन्द जी

नरेश कुमार जी

शकुन्तला देवी

प्रबन्धक को प्रबन्ध में सहायता देना तथा उसकी अनुपस्थिति में समस्त दायित्वों को वहन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

21-11-15



1. संस्था के हित में संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक बजट तैयार कराना।
2. संस्था के संचालन हेतु होने वाले कार्यों पर नजर रखना एवं प्रबन्धक को अवगत कराना।
3. संस्था के हित में कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :

समिति तथा समिति के गठन को ठीक बनाये रखना तथा आय-व्यय का ठीक हिसाब रखना व प्रबन्धक के साथ समिति के खाते का संचालन करना।

11. सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम हेतु उनके निर्देशों के सम्बंध में :-

- क) विद्यालय की पंजीकरण सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
- ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता रीजनल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।



त्रिलोक चंड जी

ननुकिशोर जी

शकुन्तला देवी

Breeti Garg

सत्य प्रतिलिपि मल

Am

नित्य गार्ग

Nitya Garg

BABITA BIS

mehm

प्रधान सहायक/असंपन्न  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्म सोसाइटीज तथा विद्यालय, मेरठ।

21-11-15

- ड) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- ज) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- झ) यू.पी. एजुकेशन कोड की धारा-105 से 107 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
- ण) उक्त शर्तों में बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।



संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन साधारण सभा के द्वारा 2/3 मतों के बहुमत से किया जायेगा।

13. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :

संस्था का कोष सदैव समिति द्वारा स्वीकृत किसी बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा। समिति के नाम पर धन का हिसाब प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष द्वारा खोला जायेगा।

14. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के आय-व्यय का निरीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त एक आडिटर द्वारा कराया जायेगा, जो वर्ष में कम से कम एक बार समिति का आय-व्यय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रबन्ध समिति को देगा।

त्रिलोक-पट्टा

न-उकिशोर

Amal

शकुन्ता देवी

सत्य प्रतिलिपि

Preethi Garg

Am

Nisha Garg

BABITA BISH

Mam

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी सचिव  
संस्था सोसाइटीज तथा मिशन, मेरठ

21-11-15

15. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक अथवा उसके द्वारा अधिकृत एडवोकेट/पदाधिकारी पर रहेगा।

16. संस्था के अभिलेख :

संस्था का समस्त कार्यों का संचालन करने के लिए सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैशबुक आदि का उपयोग किया जायेगा। यह सभी अभिलेख संस्था के प्रबंधक के पास रहेंगे।

17. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अंतर्गत की जायेगी।



निलोक चन्द्र जर्ज

नरेश्वर जर्ज

शकुन्तला देवी

Praceti Garg

Shilpa Garg

1/6/2021

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फर्स्ट सोसायटीज तथा दिटच, मेरठ:

21-11-15

Nishu Garg

BABITA BISH

may







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AC 801435

श्री अशोक प्रसाद शर्मा  
 मोहल्य प्रेमकुटी, ब्लाक ६ नं० ११, गौतम बुद्ध नगर  
 गौतम बुद्ध नगर  
 निमयावली

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / सहायक  
 कार्यालय डिप्टी सचिव  
 पत्राई संचालन विभाग, गौतम बुद्ध नगर

21-11-15